30/6/2021	पक्षकार कायम उपस्थित। विस्तृत निर्णय पत्रावली में लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.29 13:07:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

मु0न0	आर.सी.एम.एस.नं.	ता0 रजू
45/13	2013/00109	19.9.2013

पीठासीन अधिकारीः—श्री देवेन्द्र सिंह परमार आर.ए.एस

उनवान

1. गुड्डी उम्र 36 साल पुत्री गिर्राज पत्नि रामकिशोर जाति कोली नि0 वार्ड नं0 8 हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज0)
2. कमलेश उम्र 26 साल वेवा पप्पू (मृतक) (हजफ)
3. रिन्कू उम्र 13 साल पुत्र पप्पू नावालिग जरिये माता खुद कमलेश वेवा पप्पू
4. बादामी वेवा गिर्राज उम्र 50 साल जाति महावर कोली निवासी खादी भण्डार के पास मण्डवरा रोड हिण्डौन सिटी — प्रार्थीगण

बनाम

1. मंगल उम्र 60 साल पुत्र नवल जाति कोली नि0 कोलोनी खादी भण्डार के पास मण्डावरा रोड हिण्डौन (मृतक)
   1/1 हुक्मा उम्र 34 साल | पुत्रान मंगल | जाति कोली निवासी नई मण्डी खादी
   1/2 दिनेश उम्र 30 साल | भण्डार के पास महावर कॉलोनी
   1/3 छोटी वेवा मंगल उम्र 57 साल | मण्डावरा रोड हिण्डौन सिटी
   1/4 कल्लो पुत्री मंगल उम्र 37 साल पत्नी विनोद जाति कोली नि0 पठान पाडा हाई स्कूल के पीछे बयाना तह0 बयाना जिला भरतपुर
2. चिम्मन उम्र 55 साल पुत्र नवल जाति कोली निवासी महावर कॉलोनी खादी भण्डार के पास मण्डावरा रोड हिण्डौन सिटी
3. बिजेन्द्र उम्र 48 साल पुत्र नवल जाति कोली निवासी महावर कॉलोनी खादी भण्डार के पास मण्डावरा रोड हिण्डौन सिटी
   3/1 कमला वेवा बिजेन्द्र उम्र 60 साल | जाति कोली निवासी महावर
   3/2 राजेश उम्र 32 साल | पुत्रान बिजेन्द्र | कॉलोनी खादी भण्डार के पास
   3/3 मनोज उम्र 30 साल | मण्डावरा रोड हिण्डौन
   3/4 रेणू उम्र 26 पुत्री बिजेन्द्र
4. सुक्का उम्र 38 साल पुत्र नवल जाति कोली निवासी महावर कॉलोनी खादी भण्डार के पास मण्डावरा रोड हिण्डौन (मृतक)
   4/1 भोलू उम्र 24 साल पुत्र सुक्का | जाति कोली निवासी महावर
   4/2 राधा उम्र 26 साल | पुत्रियान सुक्का | कॉलोनी खादी भण्डार के पास
   4/3 अंजली उम्र 26 साल | मण्डावरा रोड हिण्डौन
   4/4 माया उम्र 44 साल वेवा सुक्का
5. पप्पू उम्र 33 साल | पुत्रान दुल्ली ज़ाति कोली निवासी महावर कॉलोनी खादी
6. भीमा उम्र 25 साल | भण्डार के पास मण्डावरा रोड हिण्डौन
7. लाला उम्र 23 साल
8. कमला वेवा दुल्ली उम्र 52 साल (मृतक) जाति ... मण्डावरा रोड हिण्डौन
   8/1 वतो पुत्री दुल्ली उर्फ दु... कोली निवासी महावर
   9 केशर वेवा सिकन्दर उम्र 27 साल ... कॉलोनी खादी भण्डार के
   10 रामदेही | पुत्रियान नवल ... पास मण्डावरा रोड हिण्डौन
   11 किन्नो

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.29 13:07:19 IST
Reason: SelfAttested

12 चिरंजी पुत्र रामरतन जाति खाती नि0 हिण्डौन रोड हिण्डौन

13 सीमा पुत्री सिकन्दर जाति कोली नि0 हिण्डौन रोड हिण्डौन

— गैरसायलान

Scanned with CamScanner

(3)

प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0.एक्ट

निर्णय

दिनांक 30.6.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सायलान ने उनवानी दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा व तकासमा का न्यायालय हाजा में पेश किया जिसमे सफलता की पूरी उम्मीद है वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1676 रकबा 0.800 है ख0नं0 1677 रकबा 0.1000 है0 खसरा नम्बर 1671 रकबा 0.5900 है0 कस्बा हिण्डौन सिटी में स्थित है वादग्रस्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 404, 402 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा थे जो सायलान व गैरसायलान की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है सायलान व गैरसायलान एक ही परिवार के है जिनका बडा बाबा सोना था जिसका सजरा प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 मे दर्ज किया है। सोना के एक लडका लक्ष्मण था जिसके के तीन पुत्र थे नवल, गिर्राज, देवकरण थे तीनो का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा 1/3, 1/3 के खातेदार थे शामलाती मे ही सह खातेदार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है नवल के वारिसान दुल्ली, मंगल, चिम्मन, विजेन्द्र, सूका 1/15 हिस्से के खातेदार काश्तकार है वादग्रस्त आराजी में दुल्ली के वारिसान पप्पू, सिकन्दर, भीमा, लाला, कमला वेवा दुल्लीका 1/75 हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है दुल्ली मर चुका है, सिकन्दर मर चुका है, अजय, विजय, केसर वेवा 1/225 हिस्से के खातेदार काश्तकार है देवकरण मृतक के वारिसान पिन्टू, खन्ना, दिनेश, 1/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार है सायलान वादग्रस्त आराजी के हिस्सा बराबर 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है नवल पिता गैर सायल नं0 1 ता 4 एवं बाबा गैर सायलान नं0 5 ता 8 तथा दादी श्वसुर गैर सायल नं0 9 निहायत चालाक आदमी था उसने राजस्व कर्मचारियों से साजकर वादग्रस्त आराजी का विरासत नामान्तकरण लक्ष्मण के नाम दर्ज कराने के बजाय सीधा अकेले के नाम खातेदारी इन्द्राज करा लिये जो व मुकाबले सायलान कानूनन बेअसर एवं प्रभाव शून्य है चिरंजी पुत्र रतन जाति कोली का वादग्रस्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही रहा ना ही उसके कोई वारिस जीवित है तथा कभी भी कब्जा नही रहा था गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है जो हजफ किये जाने योग्य है। सायलान के पिता व हिस्सा बराबर शामलाती शरीक दीगर सह खातेदार बाजरा, तिल, चना, सरसो, वगैरहा काश्त करते चले आ रहे है नवल, गिरीश, देवकरण जायज मुकाम कानूनी वारिसान संयुक्त व हैसीयत खातेदार काश्तकार वादग्रस्त आराजी को काश्त करते चले आ रहे है रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार सोना के नाम वादग्रस्त आराजी की रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण पैतृक कृषि भूमि होने के कारण सायलान का प्राईमाफेसी केस पूर्णतया सिद्व है सायलान ने विपक्षीगण को जून 2012 के अंतिम सप्ताह में वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करने को कहा तो बंट करने को हां करते रहे इस कारण सायलान ने वादग्रस्त भूमि को साबट रखा है। घटना दि0 16.09.2012 को सुबह 7 बजे की है सायलान मौके पर आये विपक्षीगण सभी मौके पर मौजूद थे सायलान ने वादग्रस्त आराजी का बंट करने को कहा आगामी फसल बोने की तैयारी करने की तैयारी कर ली है। विपक्षीगण ने बंट करने से इन्कार कर दिया तथा सायलान की खातेदारी से इंकार कर दिया और ऐलानिया धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी को बेचेंगे तथा तुमको कृषि उपयोग उपभोग नही करने देंगे यदि विपक्षीगण ने वादग्रस्त आराजी ट्रांसफर कर दी तो अनावश्यक मुकदमा बाजी बढेगी तथा सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। अन्त [illegible] विपक्षीगण को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने [illegible] किया है।

प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर [illegible] के जरिये नोटिस तलब किया गया।

गैरसायलान ने उपस्थित होकर [illegible] कर कथन किया है कि सायलान द्वारा गैरसायलान के विरूद्व झूठा दावा पेश किया [illegible] जिसमें उनको सफलता का कोई चान्स नही है वादग्रस्त आराजी मे सायलान का कोई हिस्सा नही है। ना ही सायलान 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है आराजी ख0नं0 1671 का एकमात्र खातेदार नवल पुत्र लक्ष्मण था तथा उसके मरने के बाद उक्त आराजी के एकमात्र खातेदार उसके वारिसान गैरसायलान एवं हरभेजी वेवा नवल, बत्तो पुत्री दुलीचन्द है इसी प्रकार ख0नं0 1676, 1677 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.29 13:07:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1/2 हिस्से मे नवल उसके मरने के बाद उसके वारिसान तथा 1/2 हिस्से में चिरंजी पुत्र रामरतन खाती खातेदार काश्तकार है। जिसे सायलान ने पक्षकार नही बनाया है।

वादग्रस्त आराजी सायलान की पैतृक कृषि भूमि नही है सोना पुत्र नथुआ काली सायलान का बडा बाबा नही था बल्कि सायलान का बडा बाबा सूका था ना कि सोना इस प्रकार जब सोना सायलान का बडा बाबा था नही तो सायलान का इस आधार पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है सजरा बिल्कुल गलत है सजरा मे नवल की लडकीयो व दुल्ली चंद की लडकीयो को नही दर्शाया है। सायलान व गैर सायलान का सजरा जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 मे दर्ज है। लक्ष्मण सोना का लडका नही था बल्कि सूका का लडका था सोना के कोई औलाद नही थी और ना ही सोना सायलान व गैरसायलान की वंशावली मे था बल्कि वास्तविक तथ्य यह है कि सोना पुत्र नथुआ नवल का मिलने वाला था जिसके कोई सन्तान नही थी एकमात्र नवल ही उसकी भूमि ख0नं0 402, 404 साविक नम्बर की काश्त करता व सोना की देखभाल करता था इस आधार पर सम्वत् 2009 में उक्त आराजी की खातेदारी सोना के स्थान पर एकमात्र नवल के नाम आ गयी जिसका इन्द्राज गिरदावरी सम्वत् 2008 से 2011 मे दर्ज है लक्ष्मण के पिता का नाम सोना नही था बल्कि सूका था सूका के नाम कोई कृषि आराजी नही थी इस कारण सायलान उक्त आराजी मे कोई हिस्सा पैतृक आधार पर प्राप्त करने के अधिकारी नही है और ना ही सायलान ने उक्त आराजी के सम्बन्ध मे सूका की खातेदारी या सूका के बाद उसके लडके लक्ष्मण की खातेदारी का कोई राजस्व रिकॉर्ड ही पेश किया है इसलिए सायलान का दावा व प्रार्थना पत्र **पोषणीय** नही है जब विवादित आराजीयात सायलान व प्रतिवादी नं0 12 ता 14 की पैतृक भूमि ही नही है तो उनका उक्त भूमि मे 1/3, 1/3 खातेदारी अधिकार होने का कानूनन पैदा नही होता है सायलान का भूमि पर कब्जा नही है कब्जे के अभाव में दावा व प्रार्थना पत्र **पोषणीय** नही है नवल पिता गैर सायलान न0 1 ता 9 कोई चालाक किस्म का व्यक्ति नही था और ना ही भूमि का कोई नामान्तकरण व खातेदारी कभी भी लक्ष्मण पुत्र सूका के नाम आयी क्योकि लक्ष्मण के पिता का नाम सूका था ना कि सोना जब सोना पुत्र नथुआ लक्ष्मण की वंशावली मे आ ही नही तो उसकी आराजी का **नामान्तकरण** विरासत के आधार पर लक्ष्मण के नाम आने का प्रश्न ही पैदा नही होता है सायलान ने उक्त प्रार्थना पत्र महज गैर सायलान नं0 1 ता 9 को हैरान व परेशान करने की गरज से दायर किया है जो कानूनन पोषणीय नही है और खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

गैरसायलान के दि0 06.04.2021 को बावजूद तामील उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है।

बहस वकील सायलान एक पक्षीय सुनी गई वकील सायलान का बहस मे कथन है कि सायलान ने उनवानी दावा **बाबत इस्तकशर हक व स्थाई** निषेधाज्ञा व तकासमा का न्यायालय हाजा में पेश किया जिसमे सफलता की पूरी उम्मीद है वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1676 रकबा 0.800 है ख0नं0 1677 रकबा 0.1000 है0 खसरा नम्बर 1671 रकबा 0.5900 है0 कस्बा हिण्डौन सिटी में स्थित है वादग्रस्त आराजीयात के साविक खसरा नम्बर 404, 402 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा थे जो सायलान व गैरसायलान की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है सायलान व गैरसायलान एक ही परिवार के है जिनका बडा बाबा सोना था जिसका सजरा प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 मे दर्ज किया है। सोना के एक लडका लक्ष्मण था जिसके के तीन पुत्र थे नवल, गिर्राज, देवकरण थे तीनो का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा 1/3, 1/3 के खातेदार थे शामलाती मे ही सह खातेदार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है नवल के वारिसान **दुल्ली**, मंगल, चिम्मन, विजेन्द्र, सूका 1/15 हिस्से के खातेदार काश्तकार है वादग्रस्त आराजी में **दुल्ली** के वारिसान पप्पू, सिकन्दर, भीमा, लाला, कमला वेवा [illegible] 1/75 हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है दुल्ली मर चुका है, सिकन्दर मर चुका है, अजय, [illegible] सर वेवा 1/225 हिस्से के खातेदार काश्तकार है देवकरण मृतक [illegible] दिनेश 1/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार है सायलान वादग्रस्त [illegible]जी के हिस्से [illegible] 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है नवल पिता गैर सायल नं0 1 ता 4 [illegible] नं0 5 ता 8 तथा दादी श्वसुर गैर सायल नं0 9 निहायत चालाक आदमी [illegible] उसने राजस्व कर्मचारियों से साजकर वादग्रस्त आराजी का विरासत नामान्तकरण लक्ष्मण के नाम दर्ज कराने के बजाय सीधा अकेले के नाम खातेदारी इन्द्राज करा लिये जो व मुकाबले सायलान कानूनन बेअसर एवं प्रभाव शून्य है चिरंजी पुत्र रतन जाति कोली का वादग्रस्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही रहा ना ही उसके कोई वारिस जीवित है तथा कभी भी कब्जा नही रहा था गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.29 13:07:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(5)

रूप से राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है जो हजफ किये जाने योग्य है। सायलान के पिता व हिस्सा बराबर शामलाती **शरीक** दीगर सह खातेदार बाजरा, तिल, चना, सरसो, वगैरहा काश्त करते चले आ रहे है नवल, गिरीश, देवकरण जायज मुकाम कानूनी वारिसान संयुक्त व हैसीयत खातेदार काश्तकार वादग्रस्त आराजी को काश्त करते चले आ रहे है रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार सोना के नाम वादग्रस्त आराजी की रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण पैतृक कृषि भूमि होने के कारण सायलान का प्राईमाफेसी केस पूर्णतया सिद्व है सायलान ने विपक्षीगण को जून 2012 के अंतिम सप्ताह में वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करने को कहा तो **बंट** करने को हां करते रहे इस कारण सायलान ने वादग्रस्त भूमि को **सावट** रखा है। घटना दि0 16.09.2012 को सुबह 7 बजे की है सायलान मौके पर आये विपक्षीगण सभी मौके पर मौजूद थे सायलान ने वादग्रस्त आराजी का बंट करने को कहा आगामी फसल बोने की तैयारी करने की तैयारी कर ली है। विपक्षीगण ने बंट करने से इन्कार कर दिया तथा सायलान की खातेदारी से इंकार कर दिया और ऐलानिया धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी को बेचेंगे तथा तुमको कृषि उपयोग **उपभोग** नही करने देंगे यदि विपक्षीगण ने वादग्रस्त आराजी ट्रांसफर कर दी तो अनावश्यक मुकदमा बाजी बढेगी जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा होगी। सायलान गैरसायलान को ताफैसला वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के हक दार है। प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जावे।

बहस वकील सायलान का मनन किया गया पत्रावली पर प्रेस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत 2063–66 एवं जमाबंदी सम्बत 2008 से 2011 व मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2046–66 का अवलोकन किया गया। जिससे सायलान व गैरसायलान के मध्य खातेदारी अधिकारो का सदभावी विवाद है। जो मूल दावे के अन्तिम निर्णय से तय होना है। वादग्रस्त आराजीयात जिसमे सायलान का प्राईमाफ़ेसी हक हिस्सा है। जिससे प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति सायलान के पक्ष मे प्रकट होती है। इसलिए दिनांक 7.9.2012 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1676 रकवा 0.800 है ख0नं0 1677 रकवा 0.1000 है0 खसरा नम्बर 1671 रकवा 0.5900 है0 कस्वा हिण्डौन सिटी को रहन वय नही करे। तथा सायलान के 1/3 हिस्से के कृषि उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की कोई मजाहमत नही करे।

निर्णय आज दिनांक 30.6.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.29 13:07:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner